EDUZONE: International Peer Reviewed/Refereed Multidisciplinary Journal (EIPRMJ), ISSN: 2319-5045
Volume 12, Issue 2, July-December, 2023, Available online at: www.eduzonejournal.com

वर्तमान परिपेक्ष में तलाक के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार कौन ?

शीला कुमारी

सहायक आचार्य, माँ अम्बे के.पी. संघवी राजकीय विधि स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय सिरोही

प्रस्तावना

शादी जन्म जन्मांतर का अटूट रिश्ता है या जोड़ियां अल्लाह द्वारा बनाई जाती है यह अवधारणा आज के दौर में तेजी से विखंडित होती जा रही है क्यों ?

मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में जब मानव यौन स्वच्छंदता से बाहर निकला तब विवाह की अवधारणा का उदय हुआ विवाह को चिरस्थाई बनाने के लिए समाज नाम की संस्था द्वारा कई कड़े नियम लागू किए गए तथा यह प्रयास किया गया कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने एवं परिवारों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए यह प्रयास किया गया कि पुरुष और स्त्री के बीच का शादी का रिश्ता टूटे नहीं तथा सुचारू रूप से चलता रहे जिससे स्त्री को सम्मान एवं सुरक्षा मिलती रहे तथा पुरुष को सुख शांति मिलती रहे तथा विवाह से उत्पन्न होने वाली संतानों का भविष्य भी व्यवस्थित रूप से संवारा जा सके।

इस उद्देश्य के लिए समाज द्वारा प्राचीन समय से बहुत से ऐसे रिवाज व नियम स्थापित किए गए जिसमें तलाक को रोकने के प्रयास समाहित थे। इसी कारण पुराने समय में जब संयुक्त परिवार प्रथा हमारे परिवेश में सुस्थापित थी, तलाक ना के बराबर होते थे तलाक को उस दौर में अभिशाप माना जाता था। लेकिन धीरे–धीरे मानव सभ्यता के विकास के साथ तलाक के मामले बढ़ते गए तथा आज का दौर आते–आते अब तो तलाक ऐसे होने लगे जैसे किसी ने चाय पीकर कुल्हड फेंक दिया हो। आजकल छोटी–छोटी बातों पर तलाक होना आम बात हो गई है। न्यायालयों में तलाक के लाखों मामले विचाराधीन है तथा लाखों तलाक की डिक्रीया हर वर्ष हो रही है। बरसों से चला आ रहा सामाजिक ताना–बाना छिन्न–भिन्न होता नजर आ रहा है। इसका प्रभाव स्त्री, पुरुष, बच्चों, वृद्ध माता–पिता, परिवार व समाज पर पड़ रहा है तथा समाज में इन सभी श्रेणी के लोगों में असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

तलाक के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार कौन ?

(1) संयुक्त परिवार अवधारणा का कमजोर होना –

बढ़ते तलाक के मामलों का प्रमुख कारण संयुक्त परिवार की अवधारणा का कमजोर होना एक प्रमुख कारण है। पहले हमारे देश में संयुक्त परिवार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। परिवार के सभी सदस्य परिवार एवं समाज के मुखिया का सम्मान करते थे तथा उनके आदेशों की पालना करते थे। समाज में तलाक के मुद्दे समाज की जाजम पर तय होते थे। छोटे–मोटे विवादों के कारण तलाक नहीं हो पाते थे क्योंकि उन पर परिवार व समाज का अंकुश रहता था। यदि कोई व्यक्ति तलाक के मामलों में मनमानी करता था तो समाज ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करता था। जिनमें उस पर अर्थदंड भी लगाया जाता था तथा उसे समाज से बहिष्कृत भी किया जाता था।

कालांतर में विभिन्न कारणों से संयुक्त परिवार प्रथा की अवधारणा कमजोर होती चली गई तथा एकाकी परिवार अवधारणा अस्तित्व में आ गई। इससे संयुक्त परिवार प्रथा के बंधन से समाज से व्यक्ति मुक्त होने लगे तथा अपने निर्णय स्वयं के विवेक से करने लगे। यदि किसी समाज के पंच पंचायती करके कोई मामला तय करने का प्रयास करते तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होने लगी तथा कई समाज के पंचों को जेल तक की हवा खानी पड़ी है। इस स्थिति के चलते व्यक्तियों पर समाज का नियंत्रण कमजोर होता चला गया तथा समाज में तलाक के मामलों की बाढ़ सी आ गई।

(2) महिलाओं के हित के लिए बने कानून –

संयुक्त परिवार प्रथा टूटने से तलाक के मामलों में बढ़ोतरी होने से महिलाओं की स्थिति गंभीर हो गई। पति के घर से निकाले जाने के पश्चात तलाकशुदा महिलाएं ना घर की रहती है ना घाट की। माता पिता के घर में भी वह अपने भाई भाभियों से तिरस्कृत होती है तथा उसका अपना वह अपने बच्चों का भरण पोषण [1] तक मुश्किल हो जाता है इस कारण व अन्य कई कारणों से हमारे देश की सरकार पर यह दबाव बना की ऐसी दुखी एवं परित्यक्त महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने एवं उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कानून बनाए जाए। फल स्वरूप कालांतर में महिलाओं के संबंध मैं कई तरह से कानून बनना प्रारंभ हुए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 [2]में महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे महिलाओं के मन में यह भावना आई कि वे पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। पूर्व में हमारे देश में स्त्रीया पुरुषो के अधीन मानी जाती थी तथा अविवाहित या परित्यक्त महिलाएं समाज में तिरस्कृत होती थी। इसी कारण महिलाएं गृहस्थी में छोटे–मोटे मामलों को लेकर भी पति पत्नी के रिश्ते टूटने लगे। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (।)[3] दहेज प्रताड़ना, भरण पोषण कानून, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13[4] आदि कई ऐसे कानून जो अधिकांशतः महिलाओं के हित के लिए बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग होने से भी गृहस्थीया तबाह हो रही है। भरण पोषण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24, 25 तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 18 से 21, तलाकशुदा, परित्यक्त, नाबालिग व अन्य पीड़ित महिलाओं के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करती है। पूर्व में भरण पोषण संबंधी कानूनों के अस्तित्व में नहीं होने से महिलाएं भरण पोषण के मामलों में परिवार के पुरुषों पर आश्रित होती थी।

उसके मन में यह भय रहता था कि यदि वह अपने पति से तलाक लेती है तो आगे उसका भरण पोषण कौन करेगा, और इस कारण वह तलाक लेने हेतु अग्रसर नहीं होती थी और छोटे–मोटे मनमुटाव के चलते विवाह नहीं टूटता था। परंतु भरण पोषण के विभिन्न कानून आने के बाद महिलाएं भय मुक्त हुई

[1] दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 80, दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 125

[2] भारत का संविधान – जय नारायण पाण्डेय

[3] भारतीय दण्ड़ संहिता 1860

[4] हिन्दू विवाह अधिनियम 1955

तथा वह अब हर परिस्थिति में अपने पति के साथ समझौता करने की मजबूरी से बाहर निकल गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं के हितों की रक्षा एवं सुरक्षा को लेकर बने हुए कई कानून भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से तलाक के बढ़ते हुए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।

(3) पाश्चात्य संस्कृति टेलीविजन एवं मोबाइल का बढ़ता प्रभाव –

पुराने समय में लोगों का जीवन बहुत ही साधारण व सरल था। उनकी आवश्यकता एवं महत्वकांक्षाये सीमित थी। व्यक्ति अपने परिवार व समाज तक ही सीमित होने से उसका परिवार के प्रति लगाव बहुत ज्यादा होता था। जब से हमारे देश में मोबाइल का चलन बढ़ा है तब से बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। इससे व्यक्ति समाज से तो कटा ही है उसके रिश्ते अनजान लोगों से न चाहते हुए भी जुड़ जाते हैं। पति पत्नी के बीच आज के दौर में सबसे ज्यादा अविश्वास मोबाइल के कारण हो रहा है। पति ऑफिस या पत्नी घर से फोन करें और सामने वाले का फोन व्यस्त आए तो शाम को घर में विवाद होना निश्चित है। कई पुराने मित्र बात करने या मैसेज भेजने से बाज नहीं आते और पति पत्नी यदि एक दूसरे के मोबाइल में वह मैसेज देख ले या मिस कॉल देख ले तो घर में महाभारत होना निश्चित हो जाता है। वर्तमान में पारिवारिक न्यायालयों में तलाक की जितने भी मामले विचाराधीन है या जिनमें डिक्री हो चुकी है उनमें कहीं ना कहीं मोबाइल का रोल जरूर होता है। इसके अतिरिक्त मोबाइल पर अश्लील साइट्स की भी भरमार है जिन्हें देखने के बाद योन विकृतियां उत्पन्न होती है और व्यक्ति उनकी नकल करना चाहता है इससे भी रिश्ते टूट रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान युग में मोबाइल और सोशल मीडिया भी तलाक का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है।

(4) एक दूसरे को धोखा देना –

आज के दौर में व्यक्तियों पर पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते प्रभाव के चलते विवाह के पक्षकार अपने साथी के प्रति ईमानदार नहीं रहे हैं। अधिकांश मामलों में शादीशुदा व्यक्ति के अन्य पुरुष या महिलाओं से शादी के बाद संबंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हमारे देश में टीवी पर भी कई ऐसे धारावाहिकों का प्रसारण किया जा रहा है जिसमें शादीशुदा व्यक्तियों के अन्य व्यक्तियों के साथ अंतरंग रिश्तो का दिखाया जा रहा है। पहले शादीशुदा व्यक्ति अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहता था तथा जो अब बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति कई बार शौकिया तथा कई बार मजबूरी में भी अस्तित्व में आते हैं पर इनका परिणाम अंततः तलाक के रूप में ही होता है।

(5) मानसिक स्थिति की भिन्नता –

शादी से पूर्व अपने जीवनसाथी के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होने से भी आगे चलकर तलाक की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। शादी से पहले यह पता नहीं होता है कि उसके सोच कैसी है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है आदि। तथ्यों की जानकारी नहीं होने से भी आगे चलकर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तथा सामंजस्य टूट जाने से गृहस्थी पर संकट आ जाता है। समान विचारधारा के लोगों की गृहस्थी सुखी होती है जबकि असमान विचारधाराओं के व्यक्तियों की गृहस्थी दुखी होती हैं और उनकी परिणीति तलाक के रूप में होती है।

(6) दूसरे धर्म में शादी –

आज कल जैसा कि हमने पूर्व में देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तथा घरवालों की भावनाओं के विपरीत दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। इन लोगों की संस्कृति, सभ्यता, खान– पान, रीति रिवाज, धार्मिक संस्कार भिन्न–भिन्न होने से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आगे चलकर विवाद की स्थिति बढ़ जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी मामले असफल ही होते हैं हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें अंतरजातीय विवाह सफल हुए हैं जैसे फिल्मी कलाकार शाहरुख खान वह उनकी पत्नी गौरी का विवाह एक सफल विवाह है। परंतु खास लोगों की नकल जब आम लोग भी करने लगे तो जरूरी नहीं कि उन्हें सफलता हासिल हो। हमारा परिवेश परंपरावादी होने से हमारे समाज में ऐसे रिश्तो को पसंद नहीं किया जाता तथा उन्हें उपेक्षित किया जाता है । इस कारण आगे चलकर ऐसे अधिकांश रिश्ते असफल होते हैं तथा तलाक का रूप लेते हैं तथा ऐसे में महिलाओं की स्थिति ना घर की ना घाट की हो जाती है।

(7) शराब का सेवन –

हमारे देश में यह भी एक तलाक का बड़ा कारण है पति द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन करना तथा पत्नी को यह पसंद नहीं होना या आय कम होते हुए भी कमाई का अधिकांश हिस्सा शराब पीकर उड़ा देने से परिवार में क्लेश उत्पन्न हो जाता है तथा घर परिवार बिखर कर टूट जाता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

उपरोक्त सभी कारण वर्तमान परिपेक्ष में तलाक के बढ़ते मामलों के प्रमुख कारण है। इनमें एक या एक से अधिक कारणों से शादी का बंधन टूट जाता है।
रहीम दास जी ने कहा है – रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े ,जुड़े गांठ पड़ जाए।
पति पत्नी के रिश्ते में जब एक बार दरार पड़ जाती है तो उसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे तैसे मिला भी दिया जाए तो भी उनमें पहले जैसी बात नहीं रहती, एक अविश्वास घर कर जाता है। इस स्थिति से कैसे बचा जा सकता है यह एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है ।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से पूर्व भारतीय हिंदू समाज में तलाक के मामले नगण्य होते थे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने के बाद अधिनियम की धारा 13 व 13ब में पुरुष व महिलाओं को तलाक प्राप्त करने के विभिन्न विकल्प प्राप्त हो गए। अब कोई भी पीड़ित पक्ष का स्त्री या पुरुष क्रूरता, अभितायजन, धर्म परिवर्तन, असाध्य रोग, संसार त्याग आदि आधारों पर पारिवारिक न्यायालय के माध्यम से तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकता था। इस अधिनियम की धारा 13 (ब) दोनों पक्षकारों को आपसी सहमति से भी तलाक प्राप्त करने का अधिकार देती है। इसके अतिरिक्त विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 27 में भी तलाक प्राप्त करने का विकल्प पक्षकारों को प्राप्त है। इस प्रकार कानून में तलाक का विकल्प उपलब्ध होने से तलाक के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है।

पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश के उच्चतम न्यायालय व अन्य न्यायालयों ने कुछ ऐसे निर्णय पारित किए हैं जिससे हमारा सामाजिक ताना–बाना चरमरा गया है। इन निर्णयों में ष्लिव इन रिलेशनशिपष को मान्यता दी गई है। लता बनाम उत्तर प्रदेश (2006) 5ˇ..ब्475 के मामलों में न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 की व्यापक व्याख्या की गई तथा व्यक्तिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी स्त्री को किसी भी पुरुष के साथ रहने के अधिकार को मान्यता दी गई है। साथ ही किसी भी स्त्री को किसी पुरुष के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस अवधारणा से कई शादीशुदा महिलाएं भी अन्य पुरुषों से रिश्ते कायम करने लगी है। पूर्व में ष्व्यभिचार ष्(।कनसजंतल) की श्रेणी में आता था परंतु अब व्यभिचार ।कनसजंतल को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति की स्त्री किसी पर पुरुष के साथ संबंध बनाए तो अब यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार के कानूनों का प्रादुर्भाव होने से भी तलाक के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

हमारे देश के विभिन्न राज्यों में तलाकशुदा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। इस कारण भी छोटे–मोटे मनमुटाव के चलते ही पढ़ी लिखी लड़कियां इस उम्मीद से की तलाक के बाद सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त हो जाएगी, इस कारण भी तलाक के मामलों को प्रोत्साहन मिला है।

विवाह विच्छेद के ऊपर हमने जितनी भी संभावित कारण बताए हैं। उनमें से प्रथम संयुक्त परिवार की अवधारणा का समाप्त होना एक बहुत बड़ा कारण है। जिसकी वजह से परिवारों में अधिकांश विवाह विघटित हो रहे हैं। अब एकाकी परिवार होने से व्यक्ति पर परिवार का व समाज का अंकुश लगभग हट गया है। इससे छोटे–मोटे मतभेद भी आगे चलकर पारिवारिक विवाद का कारण बनते हैं और विवाह विच्छेद की नौबत आ जाती है। कई मामलों में समाज के पंच प्रधान जब किसी परिवार के मनमुटाव को लेकर पंचायत बुलाते हैं तो उन पर मुकदमा हो जाता है और पंचों को जेल की हवा खानी पड़ जाती है। इस कारण संयुक्त परिवार एवं समाज की पूर्व अवधारणा धीरे–धीरे समाप्त होने से विवाह विच्छेद के मामलों में दिन–ब–दिन वृद्धि होती जा रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार की अवधारणा का कमजोर होना परिवार और व्यक्ति के लिए घातक हुआ है। इस अवधारणा को पुनर्जीवित किया जाए तो विवाह विच्छेद के मामलों में अवश्य ही कमी आएगी।

महिलाओं के लिए बनाए गए कानून भी कई मामलों में उन पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं सरकार ने महिलाओं की कमजोर स्थिति मानते हुए उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने के लिए कई कानून बनाए हैं। जिनमें फल स्वरुप उन कानूनों का अधिकांश मामलों में सदुपयोग नहीं होकर दुरुपयोग हो रहा है तथा यह विवाह विच्छेद का कारण बन रहा है। छोटे–मोटे मनमुटाव के चलते स्त्री द्वारा अपने पति के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाना, पति का घर छोड़कर माता–पिता के घर जाकर रहना, घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाना, भरण पोषण की कार्यवाही करना आदि कई कारण ऐसे ही है जिनमें ऐसे मामले हैं जो सामाजिक स्तर पर निपटाए जा सकते हैं। परंतु गलत सलाह से या आवेश में आकर कानूनी कार्रवाई करने से पति पत्नी के संबंध पर विपरीत प्रभाव पड़ने से विवाह विच्छेद की नौबत आती है। इन कानूनों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के साथ यह भी किया जाना चाहिए की स्त्रियों को इस कानून के दुरुपयोग से भी अवगत कराया जाना चाहिए

टीवी मोबाइल व सोशल मीडिया भी विवाह विच्छेद का वर्तमान में पतन का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। टीवी पर कुछ ऐसे धारावाहिक दिखाए जा रहे हैं। जिनमें एक विवाहित स्त्री का अन्य पुरुष के साथ संबंध था एक विवाहित पुरुष का एक अन्य स्त्री के साथ संबंध दिखाया जा रहा है। मोबाइल का उपयोग भी वर्तमान में विवाह विच्छेद का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। मोबाइल पर आसानी से एक दूसरे से संपर्क करने की सुविधा होने से पुरुष और महिला एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने से उनमें विकार उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर अश्लील सामग्री भी परोसी जा रही है जिससे समाज का हर वर्ग पथभ्रष्ट हो रहा है। वर्तमान में सस्ता डाटा होने से भी मोबाइल हर एक व्यक्ति की पहुंच में है तथा इसका सकारात्मक प्रभाव होने के स्थान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जिसकी परिणिति भी विवाह विच्छेद का रूप ले रही है। सरकार को टीवी पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक एवं अन्य कार्यक्रमों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। पिछले दिनों समाज में लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा को मान्यता दी गई है। इसका समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे देश के सभी धर्म इस अवधारणा के विरुद्ध हैं परंतु कुछ सरफिरे लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 19 को आधार बनाकर माननीय उच्चतम न्यायालय से इस अवधारणा को मान्यता दिलाई है। जो अब बहुत ही घातक रूप लेती जा रही है। हमारी सरकार एवं न्यायपालिका को इस पर गंभीर मन करके पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। इन दिनों माननीय उच्चतम न्यायालय में समलैंगिक विवाह को लेकर भी बहस चल रही है तथा इस कानून का भी सभी धर्म गुरुओं द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ऐसे कानूनों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए अथवा हमारी संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी तथा प्रकृति द्वारा निर्मित नियमों पर आघात होगा ।

शराब का उपयोग भी विवाह विच्छेद का बहुत बड़ा कारण रहा है– शराबी पति द्वारा अपनी अधिकांश आय शराब में उड़ा देना तथा अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पाने से परिवार में क्लेश उत्पन्न होता है। जिसका परिणाम विवाह विच्छेद के रूप में सामने आता है इस स्थिति से सरकार सभी को बचा सकती है परंतु राजस्व के लालच में सरकार शराबबंदी पूर्ण रुप से लागू नहीं करती है जिससे समाज पर वर्षों से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त – विवाह विच्छेद पर नियंत्रण शिक्षा, जागरूकता एवं सामाजिक प्रेरणा से भी संभव है। इस विषय पर व्यक्ति परिवार समाज और राज्य को मिलकर सामूहिक प्रयास करना चाहिए तथा लोगों को विवाह विच्छेद के दुष्परिणामों से अवगत करा कर उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए की विवाह विच्छेद जैसे अभिशाप से बचे और अन्य लोगों को भी इस संबंध मैं जागरूक करें।